कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0)

पृष्ठा0 क्रमांक–1329/दो–12–34/71 बिलासपुर, दिनांक **06 अप्रैल, 2021**

यथाआदेश प्रतिलिपि–

1– विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), बिलासपुर

2– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट, बिलासपुर

3– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पेण्ड्रारोड

4– प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम्/सप्तम्/अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर।

5– प्रथम/द्वितीय/तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक, बिलासपुर।

6– विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट, बिलासपुर

7– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक, बिल्हा/पेण्ड्रारोड

8– प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम्/सप्तम्/अष्टम्/नवम्/दशम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो, बिलासपुर छ0ग0

9– व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो, कोटा/तखतपुर/मरवाही/पेण्ड्रारोड

10– द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो, कोटा

11– प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश तह0बिल्हा,

12– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, बिलासपुर

13– अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, पेण्ड्रारोड/मरवाही/कोटा/तखतपुर/बिल्हा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

14– प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

16– प्रस्तुतकार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर की ओर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित।

06/4/21

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

कार्यालय :: जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ.ग.)

–:: *विविध आदेश* ::–

कमॉक– क / दो–12–34 / 71 बिलासपुर, दिनांक 06 अप्रेल, 2021.

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के **ORDER** No.-66 **(Mis.)** /II-14-1/2021, Bilaspur, Dated 05th April 2021 के अनुसार दिनांक 06-04-2021 से COVID-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए आगामी आदेश तक जिला न्यायालय बिलासपुर में न्यायिक कार्य व्यवस्था निर्धारित की जा रही है।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार इस दौरान जमानत एवं रिमाण्ड के प्रकरणों को छोड़कर अन्य प्रकरण की सुनवाई हेतु न्यायालय के कार्य करने का समय 11.00 AM से 02.00 PM बजे तक रहेगा । नए वाद/प्रकरण इसी अवधि के दौरान पेश किए जा सकेंगे साथ ही निम्न स्वरूप के प्रकरणों की सुनवाई की जा सकेगी :–

(1) Remand matters
(2) Bail matters
(3) Supurdnama matters
(4) Appeal & Revision (Both Civil & Criminal)
(5) Matters relating to under trial prisoners
(6) Cases pending for more than 05 (five) years (Both Civil & Criminal)
(7) Motor Accident Claim Cases
(8) Matters relating to payment of amount deposited in respect Motor Accident Claim Cases
(9) Matters under Section 125 of the Cr.P.C.
(10) Matters directed to be disposed of within time limit by Hon'ble Supreme Court or the Hon'ble High Court (Both Civil & Criminal)
(11) Other extreme urgent nature of Civil & Criminal Matters, which are found to be heard on urgent basis by the Court
(12) Trial of the cases concerning sexual assault against women and children.

माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के द्वारा उपरोक्त आदेश में दिए गए निर्देशों के परिपेक्ष्य में सभी पीठासीन अधिकारी अपेक्षित प्रकरणों में सुनवाई सुनिश्चित करने हेतु नीचे उल्लेखित बैठक व्यवस्था के अनुसार तिथि स्वयं नियत करेंगे।

06/04/2021

आगामी कार्य दिवसों में इस जिला स्थापना के मुख्यालय में **Higher Judicial Service (HJS) Level** के न्यायालयों में जिला न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (Atrocity) के न्यायालय में नियमित कार्यवाही संचालित की जावेगी। इसी तरह **Higher Judicial Service (HJS) Level** के सभी बाह्य न्यायालयों में भी नियमित कार्यवाही संचालित की जायेगी किन्तु मुख्यालय के **Higher Judicial Service (HJS) Level** के अन्य न्यायालयों में निम्नानुसार चक्रानुक्रम में नियमित सामान्य कार्यवाही संचालित की जावेगी :-

Sr. No.	Date	Court of Higher Judicial Service (HJS)
1	06-04-2021	1. Shri Pankaj Jain (ADJ/ASJ) 2. Ms. Smita Ratnawat (ADJ/ASJ)
2	07-04-2021	1. Shri Shailendra Chauhan (ADJ/ASJ) 2. Shri Vivek Kumar Tiwari (ADJ/ASJ)
3	08-04-2021	1. Shailesh Achyut Patwardhan (ADJ/ASJ) 2. Shri Pankaj Jain (ADJ/ASJ)
4	09-04-2021	1. Shri Sanjeev Kumar Tamak(ADJ/ASJ) 2. Ms. Smita Ratnawat (ADJ/ASJ)

नोट–

(1) दिनांक 06/04/2021 से सभी जमानत याचिकाएं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर के समक्ष पेश की जा सकेंगी जो विधिवत निराकरण हेतु आवश्यकतानुसार उपलब्ध न्यायालयों में अन्तरित करेंगे। लंबित प्रकरणों से संबंधित जमानत आवेदन उसी न्यायाधीश के समक्ष पेश किये जा सकेंगे जिनके न्यायालय में प्रकरण लंबित है और चक्रानुक्रम में वे सुनवाई हेतु उपलब्ध हैं। इसी प्रकार द्वितीय एवं पश्चातवर्ती जमानत आवेदन, जिस न्यायालय से संबंधित है, उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की उपलब्धता की अवधि में ही पेश किये जा सकेंगे। इसी प्रकार विशेष न्यायालय से संबंधित जमानत आवेदन भी उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष रिमाण्ड के समय अथवा उक्त न्यायालय की बैठक दिनांक को ही प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

(2) आज दिनांक 06/04/2021 को पूर्व से लंबित द्वितीय जमानत याचिका संबंधित पीठासीन अधिकारी व्दारा सुने जायेंगे।

06/4/21

न्यायालय में सुनवाई के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी Covid-19 (Corona Virus) संक्रमण से बचाव हेतु Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court, Central Govt., State Govt., and Local authority, other Competent Authorities द्वारा जारी Guidelines का पालन करेंगे, चेहरे पर Mask और Social Distancing का भी पालन करेंगे, सुनवाई हेतु प्रकरणों की संख्या ऐसी निर्धारित करेंगे ताकि सुनवाई के दौरान Court Room में अधिक संख्या में लोग इकट्ठे न हो और प्रत्येक व्यक्ति से Social Distancing का पालन कराया जा सके।

उपरोक्त उल्लेखित तालिका अनुसार चक्रानुक्रम से ही प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अपने यहां पदस्थ स्टाफ से आवश्यकतानुसार कार्य लिया जाना भी सुनिश्चित करेंगें।

प्रत्येक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी व्दारा (माननीय उच्च न्यायालय व्दारा उपरोक्त निर्धारित प्रकरणों को छोड़कर) General Date निर्धारित की जायेगी, जो जिला न्यायालय के Official website में प्रत्येक दिवस शाम को upload कर दी जायेगी, ताकि मात्र आगामी तारीख की सूचना लेने हेतु अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को न्यायालय में भटकना न पड़े।

General Date निर्धारित प्रकरणों में किसी भी पक्षकार अथवा अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वे सीधे आगामी सुनवाई हेतु नियत दिनांक को उपस्थित होंगे परन्तु जिन प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय या माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय व्दारा प्रकरण के शीघ्रतापूर्ण या समय-सीमा पर किये जाने का निर्देश दिया गया हो, तो ऐसे प्रकरणों में पीठासीन अधिकारी स्वयं आगामी तारीख नियत करेंगे और तत्परता पूर्वक कार्यवाही करेंगे।

बिलासपुर मुख्यालय में स्थित समस्त विशेष न्यायाधीश उनके न्यायालय से संबंधित रिमांड कार्य का संपादन भी विधिवत माननीय छ.ग.उच्च न्यायालय व्दारा दिये गये निर्देशानुसार न्यायालय कक्ष में उपस्थित होकर संपादित करेंगे।

यह आदेश माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से अग्रिम निर्देश प्राप्त होने के दिनांक से ही स्वयमेव निरस्त हो जावेगा। अतः तिथियों के संबंध में

अनावश्यक भ्रम की स्थिति से बचने के लिये अधिवक्तागण दिन–प्रतिदिन की ही नियत तिथि नोट करें क्योंकि बीच में सुनवाई प्रारंभ होने पर प्रकरण पूर्व से ही नियत तिथि में लिये जायेंगे।

उपरोक्त कार्य व्यवस्था में किसी भी दुविधा की स्थिति अथवा किसी न्यायाधीश की अनुपलब्धता पर Work Distribution Order No.Q/I-II-I/2003 Dated 30/01/2021 प्रभावी होगा और मुख्यालय में उपलब्ध न्यायाधीश व्दारा सुनवाई की जावेगी।

आवश्यकता पड़ने पर पृथक से अतिरिक्त निर्देश जारी किये जायेंगे।

(सुषमा सावंत)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ.ग.)